



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09052026-272388  
CG-DL-E-09052026-272388

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2261]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 8, 2026/वैशाख 18, 1948

No. 2261]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 8, 2026/VAISAKHA 18, 1948

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2026

**का.आ. 2352(अ).**—केंद्रीय सरकार, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की धारा 2 के खंड (44) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिर्दिष्ट अर्हताएं रखने वाले चिकित्सा व्यवसायियों के निम्नलिखित वर्गों को, उक्त संहिता के अध्याय IV के प्रयोजनों के लिए और उस अध्याय से संबंधित संहिता के उपबंधों के लिए, चिकित्सा व्यवसायी के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

1. ऐसे व्यक्ति जिनके पास कोई मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हता है और जो—

(क) राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 (2019 का 30) के अधीन गठित राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, या किसी राज्य चिकित्सा परिषद,

अथवा

(ख) राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली अधिनियम, 2020 (2020 का 14) के अधीन राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग या स्वायत्त बोर्ड या भारतीय चिकित्सा प्रणाली राज्य चिकित्सा परिषद;

अथवा

(ग) राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 15) के अधीन राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग या स्वायत्त बोर्ड या राज्य होम्योपैथी चिकित्सा परिषद, के साथ पंजीकृत हैं।

[फा. सं. आर-19025/18/2026-एस एस-1]

आशुतोष ए. टी. पेडणेकर, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT****NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th May, 2026

**S.O. 2352(E).**— In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (44) of section 2 of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020), the Central Government hereby notifies the following classes of medical practitioners, having the specified qualifications, as medical practitioners for the purposes of Chapter IV of the said Code and for the provisions in the Code relating to that Chapter, namely:—

1. Persons possessing a recognised medical qualification and registered with—

- (a) the National Medical Commission or any State Medical Council constituted under the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019); or
- (b) the National Commission for Indian System of Medicine or a Autonomous Board or State Medical Council of Indian System of Medicine under the National Commission for Indian System of Medicine Act, 2020 (14 of 2020); or
- (c) the National Commission for Homoeopathy or a Autonomous Board or State Medical Council of Homoeopathy under the National Commission for Homoeopathy Act, 2020 (No. 15 of 2020).

[F. No. R-19025/18/2026-SS-I]

ASHUTOSH A.T. PEDNEKAR, Jt. Secy.